



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233046
CG-DL-E-01022022-233046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]
No. 91]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. 01/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 91(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्यांक 49/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 24 दिसंबर, 2008, जो सा.का.नि. 882(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2008, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधन हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) के अधीन और उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के टैरिफ मद के अधीन आने वाले विनिर्दिष्ट माल, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में वर्णित हैं, उस माल के रूप में करती हैं, जिस पर उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे और उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित खुदरा विक्रय मूल्य की प्रतश्चितता के रूप में उपशमन अनुज्ञात करती है।

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	खुदरा विक्रय मूल्य की प्रतशितता के रूप में उपशमन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2403 99 10, 2403 99 20, 2403 99 30	सभी माल	55
2.	2403 99 90	तंबाकू युक्त पान मसाला	55

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 01/2022-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 91(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 49/2008-Central Excise(N.T.), dated the 24th December, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 882(E), dated the 24th December, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby specifies the goods under column (3) of the Table below and falling under the tariff item of the Fourth Schedule to the said Act, as specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, as the goods to which the provisions of sub-section (2) of said section shall apply and allows abatement as a percentage of retail sale price mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description of goods	Abatement as a percentage of retail sale price
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2403 99 10, 2403 99 20, 2403 99 30	All goods	55
2.	2403 99 90	Pan masala containing tobacco	55

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2022.

[F. No. 334/01/2022 – TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.